No unauthorised use of any vehicle by any officer/employee of the Indian Red Cross Society has occured.

(d) No, Sir. However, the Rajasthan State Branch of the Indian Red Cross Society is conducting an enquiry into some allegations against its Secretary.

(e) Necessary action would be taken on the conclusion of the enquiry mentioned in part (d) above.

Removal of Emblem from Imported Cars by Indian Red Cross Society

4816. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Indian Red Cross Society has removed the emblem (+) from the 3 imported car for the use of Bangladesh refugees (one imported Fiat and two Volks Wagon);

(b) if so, since when these cars have been used without the emblem (+); and

(c) the reasons for the removal of the emblem (+) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No Sir. However, the Indian Red Cross Society has donated one Fiat car in 1969 and the sister organisations have donated two Volks-Wagons about 7 years back to the Indian Red Cross Society for its use. These were not imported by the Indian Red Cross Society for the use of Bangladesh refugees.

(b) and (c) . In the case of Fiat the emblem on it was defaced when its repainting was taken up recently. As far as the other two cars, Volks-Wagons, are concerned, they never had Red Cross marking, but the fact that they belong to the Indian Red Cross Society is written on the number plates. The question whether the emblem should be painted on them is under consideration of the Indian Red Cross Society.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर तथा रतलाम में लागू किया जाना

4817. **श्री छविराम अर्गल** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मध्य भारत क्षेत्र के 4 प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर तथा रतलाम में 23 जनवरी, 1955 को लागू की गई थी और उस समय उसके अन्तर्गत 55,000 श्रमिक शामिल थे;

(ख) क्या इस योजना को विस्तार 20 केन्द्रों तक हो जाने से इसके अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 1,49,000 हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें देने के लिए इन सभी केन्द्रों पर कितने औषधालय हैं और इन केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के परिवारों के लिये शय्याओं के आरक्षण जैसी आंतरिक सुविधायें देने का का है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृष्ण सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी, हां ।

(ख) जी हां । 31-3-1976 की स्थिति के अनुसार ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार, जो चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, द्वारा व्यवस्थित पूर्णकालिक औषधालयों की संख्या इस प्रकार है :—

1. इन्दौर .	11
2. उज्जैन .	5
3. ग्वालियर .	7
4. रतलाम . .	2

इनके अतिरिक्त, इन्दौर में एक नियोजकों का औषधालय है, जिसका उपयोग कर्मचारी भी करते हैं। इन्दौर, उज्जैन और ग्वालियर

में लाभानुभोगियों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा (अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा सहित सभी सुविधाएं) दी जाती हैं। रतलाम में केवल कर्मचारियों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा दी जाती है । परिवारों को विस्तृत चिकित्सा सुविधाएं (अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी सुविधाएं) दी जा रही हैं ।

(घ) रतलाम में कर्मचारियों के परिवारों को अन्तरंग सुविधाएं (अस्पताल में दाखिल होकर इलाज कराने की सुविधाएं) उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुआ करार

4818. **श्री छविराम अर्गल :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच चिकित्सा सुविधाओं तथा खर्च के बारे में हुए करार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस करार की कुछ धाराओं को निकाल देने के लिये कोई अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) मध्य प्रदेश सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीच हुए करार की एक प्रतिलिप सभा पटल पर रखी है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-1447/77] ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Medical Facilities in Delhi

4819. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the dispensary facility for the health welfare of the people is in-adequate in view of the total population of Union Territory of Delhi;

(b) if so, the total population of Delhi and the daily average of indoor and out-door patients in each hospital ; and

(c) the extra provision being made for the development of health welfare in the Union Territory of Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) As on 1-10-77, there are 346 dispensaries in different systems of medicine being run by different agencies for a total population of 5340364 in the Union Territory of Delhi. Keeping in view the resources available, the number of dispensaries is not considered inadequate.

(c) It is proposed to establish two 500 bedded hospitals and seven 100 bedded hospitals besides a chain of new dispensaries in Delhi. Proposals for adding more beds in some of the existing hospitals are also in various stages of consideration.

Vasectomisation of Adivasis and Harijan Bachelors

4820. SHRI SRIBATGHA DIGAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether during the previous regime large number of Adivasis and Harijans who were bachelors were forcibly vasectomised;

(b) if so, the number of such persons in Orissa State District-wise; and